संख्या–1313/14–2–2016–800 (71)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2016**

विषयः– जनपद जालौन में उरई (बिलराया–पनवाड़ी राजमार्ग संख्या–21 के किमी0 352.00से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुये झांसी भोगनीपुर–कानपुर मार्ग एन0एच0–27 के किमी0 218.400 तक) फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8बी/06/37/2016/एफसी/81, दिनांक 13–5–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से 23 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–2645/11सी एफपी/यूपी/रोड/17575/2016, दिनांक 10–6–2016 भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 10 जून 2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया संशोधित प्रस्ताव 01 प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या– 1313 (1)/14–2–2016–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।